

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— 730 /11सी-उन्नाव, दिनांक, लखनऊ, अक्टूबर 04, 2016

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2
लखनऊ।

विषय: जनपद उन्नाव में तहसील हसनगंज के ग्राम रजापुर वन ब्लॉक की 0.064 हे० आरक्षित वनभूमि पर रजापुर सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ:— उ०प्र०शासन का पत्रांक-64/14-2-2016-800(87)/2015, दि० 22.01.16

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर सूचना सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी।

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, उन्नाव ने अपने पत्रांक-4390/29-1, दिनांक 21.03.2016 द्वारा कमियों का निराकरण कर, एवं ई मेल से दिनांक 29.09.16 को प्राप्त टाइम लाईन डिटेल् प्रेषित की है, जिसे प्रस्ताव की प्रति सहित संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।
प्रस्ताव की प्रति।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक— 730 / , उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 2— प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, उन्नाव।
- 3— अधिष्ठासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव।

(सुरेश चन्द्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ।